

चेक भीमो

राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर

1.	खातेदार का नाम/पिता का नाम	:—		
2.	ग्राम/तहसील/जिला	:—		
3.	आवेदन की तिथि			
4.	आराजी नम्बर मय क्षेत्रफल	:—		
5.	किस्म भूमि	:—		
6.	भूमि मास्टर प्लान/नगरीय क्षेत्र परिधीय क्षेत्र से प्रभावित तो नहीं है।	:—		
7.	संपरिवर्तन का प्रयोजन			
8.	खातेदार का आवेदन पत्र पर 'ए' (कृषि भूमि) या खातेदार का आवेदन प्रपत्र 'सी' (पूर्व में संपरिवर्तन भूमि)			
9.	क्या प्रस्तावित भूमि नियम 4 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी में है यदि हां तो पूर्ण विवरण			
10.	क्या प्रस्तावित भूमि तालाब के भराव क्षेत्र या मोड़, नदी, नाला, तालाब, झील रास्ते के उपयोग में आ रही है?			
11.	संपरिवर्तन के लिए क्षेत्रफल			
	1. क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)			
	2. नियम 7 में उल्लेखित संपरिवर्तन प्रभार			
	3.डी०एल०सी० दर प्रति बीघा से			
	(क) आबादी के पास / असिंचित			
	(ख) आबादी से दूर असिंचित			
	(ग) सिंचित			
4. संपरिवर्तन राशि जमा				
	चालान संख्या	दिनांक	राशि	मद
				0029
नियम 8 के तहत संपरिवर्तन प्रभार में छूट, यदि अनुज्ञेय हो.....				
5.अन्तर राशि यदि हो तो	:—			
12.	तहसीलदार के प्रस्ताव			
	1.नवीनतम जमाबदी की प्रमाणित प्रति			
	2.द्रेस, नकशा (पहुंच मार्ग व आसपास की गतिविधियों को दर्शाते हुए)			
	3.प्रस्तावित भूमि ले आउट प्लान जिसमें निर्धारित नाम्स अनुसार सड़के व अन्य सुविधा का उल्लेख दर्शाते हुए (कुल क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत) भूमि छाड़ने का शायद पत्र (केवल आवासीय परियोजना / औद्योगिक एस्टेट हेतु)			
	4.पर्चा मौका			
	5.पटवारी रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र			
	6.प्रस्तावित भूमि की दूरी:-			
	(1). राष्ट्रीय उच्च मार्ग			
	(2). राष्ट्रीय राज मार्ग			
	(3). मेगा हाइवे			
	(4). एम०डी०आर			

	(5). अन्य सड़क (आई0आर0सी मानदण्डानुसार सड़क के मध्य से नापकर जो भूमि छोड़नी है, जिस पर कोई निर्माण अनुज्ञेय नहीं है, क्षेत्रफल दर्शाएं।)	
	(6). ग्राम की आबादी सीमा से (औद्योगिक प्रयोजनार्थ प्रकरण में)	
	7. मोके पर भूमि की स्थिति	
	8. प्रस्तावित भूमि में निर्माण है अथवा नहीं, निर्माण है तो कितना।	
	9. अवैध निर्माण की प्रस्तावित शास्ती	
	10. प्रस्तावित भूमि अवाप्ति में तो नहीं है? (विवरण दें।)	
	11. आवेदक के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि तो नहीं है? है तो कितनी भूमि	
	12. क्या पूर्व में आवेदक द्वारा खातेदारी भूमि में कोई संपरिवर्तन कराया है? यदि हां तो:-	
	(1) संपरिवर्तन का प्रयोजन	
	(2) खसरा नंबर	
	(3) रक्बा	
	(4) विहित प्राधिकृत अधिकारी	
	(5) संपरिवर्तन आदेश क्रमांक व दिनांक	
13.	योजना मानचित्र पर खसरा मानचित्र का योजना की सीमा दर्शाते हुए अंकन	
14.	योजना मानचित्र पर योजना की एप्रोच रोड दर्शायी जावे अथवा खातेदार परम्परागत रूप से कम से कम 10 वर्ष से प्रयुक्त किये जा रहे रास्ते को दर्शाया जावे	
15.	योजना में सभी सड़कों की चौड़ाई निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप है।	
16.	अगर योजना के मध्य से अथवा निकट से कोई हाइटेंशन लाईन गुजर रही है तो उसको योजना मानचित्र पर दर्शाया जावे। (क्षेत्रफल जो हाइटेंशन लाईन से प्रभावित होने के कारण संपरिवर्तन योग्य नहीं है, दर्शाया जावे)	
17.	प्रस्तुत योजना की भूमि के संबंध में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन तो नहीं है यदि हां तो संक्षिप्त विवरण	
18.	योजना भूमि की रेल्वे लाईन या रेल्वे स्वामित्व से दूरी	
19.	भूमि के आस पास इण्डस्ट्रीयल या अन्य Health Hazardous ईकाई है या नहीं। है तो कितनी दूरी पर है?	

उपरोक्त सभी बिन्दूओं के संबंध में तथ्यों का सत्यापन कर तत्संबंधी संतुष्टि कर ली गई है एवं तदानुसार प्रकरण में भूमि संपरिवर्तन/नियमितिकरण की स्वीकृति प्रदत्त करने की अभिशंषा की जाती है।